तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	2017/0332
28/4/18	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी क्र.-1 की ओर वकील श्री शीतललाल गोयल द्वारा अधिवक्ता पत्र प्रस्तुत की। पत्रावली वास्ते जवाब एवं तलबी हेतु दिनांक 10/5/18 को पेश हो।
10/5/18	पत्रावली पेश हुई वकील उपस्थित उप. प्रतिवादी क्रं. 1/1, 3/1, 3/2, 3/3 की ओर से वकील श्री गिरिराज प्रसाद मीणा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब एवं शेष जवाबदी की तलबी हेतु दिनांक 21/5/18 को पेश हो।
16/5/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प नीमोदा में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 2/1 व 2/2 मजमें आम में उपस्थित। वादीगण नें उक्त वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88-89 आरटीएक्ट में प्रस्तुत कर ग्राम नीमोदा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 2285 रकबा 1.46 हे0, ख0नं0 2298 रकबा 1.47 हे0 कुल किता 2 रकबा 2.93 हे0 भूमि में वादी नं0 1 के साथ वादी नं0 2 व प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 को बराबर बराबर 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट घोषित किये जानें का निवेदन कर अन्य कथन किये कि वादी नं0 1 वृद्ध व्यक्ति है, वादी की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। वादी नं0 1 के बद्रीलाल व सोहनलाल जीवित पुत्र है तथा दो पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है इस कारण वादी नं0 1 वादी नं0 2 बद्रीलाल के पास ही निवास करता है। वादी नं0 1 ने जीवित पुत्र बद्रीलाल व सोहनलाल को एवं दो मृतक पुत्रों के वारिसान को विवादित आराजी में से 1/5, 1/5 हिस्से की भूमि का मौके पर विभाजन कर भूमि दी हुई है। किन्तु इसके बावजूद भी प्रतिवादी नं0 1 सोहनलाल आये दिन वादीगण व प्रतिवादी नं0 2-3 से लडाई झगडा कर 1/5 हिस्से की भूमि से अधिक भूमि को खाते दर्ज करानें की धमकी देता रहता है।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
2017/0332	

उपस्थित पक्षकारान् ने साथ ही कथन किये कि सोहनलाल ने एक अन्य वाद इसी आराजी के सम्बन्ध में कर रखा है, जिसमें हस्तगत प्रकरण के ही पक्षकार है तथा आराजी भी समान ही है।

मजमें आम में उभयपक्ष की समझाईश की गई तथा उपस्थित पक्षकारान् ने वादपत्र में अंकित प्रार्थना अनुसार वाद को डिक्री किये जानें की सहमति कायम की गई। जिस पर पक्षकारान् ने सहमति प्रकट करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

मजमें आम में उक्त दोनों पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण सं0 150/17 एवं प्रकरण सं0 149/17 के पक्षकार एवं आराजी समान होनें से दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक साथ ही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण सं0 149/17 को प्रकरण सं0 150/17 के साथ कन्सोलिडेट किया जाता है। उपस्थित पक्षकारान् ने प्रकरण में प्रार्थना अनुसार डिक्री किये जानें की सहमति प्रकट की हैं। जिससे वाद वादीगण स्वीकार योग्य प्रतीत होता हैं

अतः वाद वादीगण उभयपक्ष की सहमति के आधार पर घोषणा तक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम नीमोदा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 2285 रकबा 1.46 हे0, ख0नं0 2298 रकबा 1.47 हे0 कुल किता 2 रकबा 2.93 हे0 भूमि में वादी नं0 1 के साथ वादी नं0 2 व प्रतिवादी नं0 1-2-3 को 1/5-1/5 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो, निर्णय मजमें आम में सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद